खान मंत्रालय

मांग संख्या 67

खान मंत्रालय

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	185.73	506.08	691.81	473.78	537.26	1011.04	295.26	547.05	842.31	515.80	585.13	1100.93
	पूंजी	***344.96***	...	*344.96*	*93.22*	...	*93.22*	*34.74*	...	*34.74*	*54.78*	...	*54.78*
	जोड़	**530.69**	**506.08**	**1036.77**	**567.00**	**537.26**	**1104.26**	**330.00**	**547.05**	**877.05**	**570.58**	**585.13**	**1155.71**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	16.96	16.96	...	20.00	20.00	...	19.46	19.46	...	26.00	26.00
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग													
2. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण	2853	149.97	429.75	579.72	360.83	455.92	816.75	205.55	457.47	663.02	393.00	489.45	882.45
	4853	344.71	...	344.71	86.50	...	86.50	31.55	...	31.55	47.92	...	47.92
	जोड़	*494.68*	*429.75*	*924.43*	*447.33*	*455.92*	*903.25*	*237.10*	*457.47*	*694.57*	*440.92*	*489.45*	*930.37*
3. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को अनुदान	2853	9.00	...	9.00	10.00	...	10.00	11.00	...	11.00	40.00	...	40.00
4. भारतीय खान ब्यूरो	2853	24.90	48.88	73.78	46.99	53.52	100.51	27.94	53.17	81.11	46.84	54.83	101.67
	4853	0.25	...	0.25	0.71	...	0.71	0.41	...	0.41	0.86	...	0.86
	जोड़	*25.15*	*48.88*	*74.03*	*47.70*	*53.52*	*101.22*	*28.35*	*53.17*	*81.52*	*47.70*	*54.83*	*102.53*
5. भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को अनुदान	2853	...	2.65	2.65	...	1.50	1.50	...	4.36	4.36	...	2.70	2.70
6. अन्य कार्यक्रम	2853	2.00	8.30	10.30	20.30	6.32	26.62	20.30	12.59	32.89	15.00	12.15	27.15
जोड़-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग		**530.83**	**489.58**	**1020.41**	**525.33**	**517.26**	**1042.59**	**296.75**	**527.59**	**824.34**	**543.62**	**559.13**	**1102.75**
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	35.66	...	35.66	30.47	...	30.47	20.96	...	20.96
	4552	...	...	...	6.01	...	6.01	2.78	...	2.78	6.00	...	6.00
	जोड़	...	...	...	*41.67*	...	*41.67*	*33.25*	...	*33.25*	*26.96*	...	*26.96*
8. सरकारी उद्यमों में निवेश	4853	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. वास्तविक वसूलियां	2853	-0.14	-0.41	-0.55	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3451	...	-0.05	-0.05	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*-0.14*	*-0.46*	*-0.60*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		*530.69*	*506.08*	*1036.77*	*567.00*	*537.26*	*1104.26*	*330.00*	*547.05*	*877.05*	*570.58*	*585.13*	*1155.71*

विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
8.01 हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	12853	...	310.28	310.28	...	522.16	522.16	...	268.00	268.00	...	475.00	475.00
8.02 नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड	12853	...	523.41	523.41	...	1181.02	1181.02	...	400.38	400.38	...	1142.21	1142.21
8.03 खनिज अन्वेषण निगम	12853	...	8.72	8.72	...	18.71	18.71	...	16.76	16.76	...	17.23	17.23
8.04 अन्य निकाय/संस्थाएं	12853	...	6.75	6.75	...	7.50	7.50	...	7.50	7.50	...	8.45	8.45
जोड़		**...**	**849.16**	**849.16**	**...**	**1729.39**	**1729.39**	**...**	**692.64**	**692.64**	**...**	**1642.89**	**1642.89**
ग. योजना परिव्यय*													
1. अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग	12853	536.85	849.16	1386.01	608.33	1729.39	2337.72	310.30	692.64	1002.94	543.62	1642.89	2186.51
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	41.67	...	41.67	33.25	...	33.25	26.96	...	26.96
जोड़		**536.85**	**849.16**	**1386.01**	**650.00**	**1729.39**	**2379.39**	**343.55**	**692.64**	**1036.19**	**570.58**	**1642.89**	**2213.47**
**शहरी विकास मंत्रालय में निर्माण परिव्यय का सम्मिलन*													
मांग संख्या 105	12853	6.16	...	6.16	83.00	...	83.00	13.55	...	13.55	...	...	...

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ::** यह प्रावधान अप-तटीय क्षेत्रों सहित देश के भूवैज्ञानिक मानचित्रण और क्षेत्रीय खनिज आकलन के लिए है और इसमें उपग्रह चित्रों और हवाई सर्वेक्षणों के मार्फत सुदूर-सवेदन की अपेक्षाएं शामिल हैं।

3. **खनिज गवेषण निगम लि. को अनुदान ::** केंद्र सरकार द्वारा संवर्धनात्मक आधार पर निगम को सौंपी गई गवेषण परियोजनाओं को वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाता है।

4. **भारतीय खान ब्यूरो ::** यहा प्रावधान भारतीय खान ब्यूरो की, खानों का निरीक्षण और अध्ययन करने तथा निम्न विषयों पर अनुसंधान करने संबंधी आवश्यकताओं हेतु हैं :(i) निम्न ग्रेड अयस्कों और खनिजों का सज्जीकरण और (ii)खनिज संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से विशिष्ट खनन समस्याएं। इसमें खनन टेनीमेंट प्रणाली के कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन रजिस्टर और राज्य सरकार - विकास के क्षमता निर्माण के लिए प्रावधान और एनआईसी द्वारा आयस्क गणना सॉफ्टवेयर के कार्यान्वियन के लिए राशि भी शामिल है।

5. **भारत गोल्ड माइंस लि. को अनुदान ::** यह प्रावधान अनिवार्य सेवाओं तथा अन्य आदि के अनुरक्षण पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए है।

6. **अन्य कार्यक्रम ::** इसमें विभिन्न स्वायत्त और वैज्ञानिक निकायों को विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता-अनुदान, तीन स्वायत्त निकायों के लिए वेतन घटक,तीन स्वायत्त निकायों और राष्ट्रीय भू-विज्ञान पुरस्कार आदि के लिए सूचना, शिक्षा, संचार स्कीम, एक बार अनुदान के लिए प्रावधान शामिल हैं। इसमें खनन क्षेत्र में विनियमित विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान भी शामिल है।

7. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं /योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान:** वर्ष के दौरान, इस प्रावधान में से निधियों को, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो के अधीन संबंधित योजनाओं के लिए,पुनर्विनियोजित किया जाएगा।

8. **सरकारी उपक्रमों में निवेश:** खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र उद्यमों द्वारा विभिन्न पूंजीगत स्कीमों के क्रियान्वयन की व्यवस्था है। सभी पीएसई स्कीमों पर हुए पूंजीगत व्यय को अपने आतंरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) से पूरा करते हैं।

8.01. **हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड:** भारत सरकार का उद्यम और राष्ट्र में देशज संसाधनों से प्राथमिक तांबे के एक मात्र उत्पादक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को सरकारी क्षेत्र में 09 नवम्बर, 1967 को निगमित किया गया। खनन, सज्जीकरण, प्रगालन, परिशोधन और शुद्ध तांबा धातु को बिक्री योग्य उत्पादों के रूप में ढालना एचसीएल की प्रमुख गतिविधियों में शामिल है। योजना परिव्यय, मुख्यत: तात्पर्य है- खान विस्तार, खान विकास, प्रतिस्थापन और नवीकरण तथा ग्रीन फील्ड गवेषण आदि के लिए है।

8.02. **नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड़:** नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, खान मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के उद्यम के रूप में 7 जनवरी, 1981 को निगमित किया गया और 1985-87 के दौरान शुरू किया गया। ओडिसा में

स्थित यह एशिया का सबसे बड़ा एकीकृत एल्युमिनियम परिसर है जिसमें बॉक्साइट खनन, एल्युमिना शोधनशाला, एल्युमिना प्रगालक और ऊर्जा सृजन शामिल है। योजना परिव्यय मुख्य रूप से ग्रेन फील्ड प्रोजेक्ट और विस्तृत योजनाओं, प्रमुख कोयला खान उत्कल ई-कोल माइन के दूसरे चरण का विकास और अतिरिक्त योजन/सुधार/ प्रतिस्थापन के लिए किया गया है।

8.03. **खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड:** कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का गठन 21 अक्तूबर, 1972 को अन्वेषण और खनिजों के अन्वेषण के लिए उच्च गुणवत्ता, किफायती और समयबद्ध भू-विज्ञानिक सीमाएं प्रावधान करने के उद्देश्य से किया गया था। कंपनी दो प्रमुख वस्तुशीर्षों में अन्वेषण गतिविधियां करती हैं अर्थात (क) सरकार की ओर से और सरकार द्वारा निधिपोषित कोयले, लिग्नाइट और धात्विक/गैर-धात्विक खनिजों के संवर्धन का कार्य तथा (ख) सरकारी क्षेत्र , निजी क्षेत्र और राज्य सरकारों सहित अन्य अभिकरणों की ओर से उनके साथ एमईसीएल द्वारा की गई संविदा/समझौता ज्ञापन मार्ग के अनुसार संविदात्मक कार्य। आयोजना परिव्यय एमएमडीआर अध्यादेश, 2015 को ध्यान में रखते हुए एमईसीएल द्वारा समर्थ किए गए खनिज वाले खंडों को शीघ्रता से नीलामी स्तर तक पहुंचाने के लिए सुदृढ़ीकरण, नये संयंत्रों आदि के प्रतिस्थापन/खरीद के लिए अर्थात आईईबीआर के माध्यम से आयोजना बजटीय सहायता और अन्य पूंजी व्यय के जरिए खान मंत्रालय की ओर से संवर्धनात्मक कार्य।

8.04. **अन्य निकाय/संस्थाएं:** खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रोद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्य के लिए तीन स्वायत्त केंद्रों की स्थापना की गई है। ये हैं :- (क) नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स (ख) जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनीयम रिसर्च डवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर तथा (ग) नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ मिनरल हेल्थ। योजना परिव्यय, उनके अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर किए गए व्यय के लिए होता है।